झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या– वाकर/कम्प्यु/02/2013– 862 (A) / राँची, दिनांक– 13/3/14

प्रेषक,

एम0 आर0 मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/ (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियम 42 (2) के अधीन ऑनलाईन घोषणा पत्र **SUGAM B (JVAT 504B)** की वैधता (**validation**) बढाने के संबंध में।

प्रसंगः– परिपत्र संख्या 2624 दिनांक 20.05.2013, परिपत्र संख्या–2808 दिनांक 30.05.2013 एवं परिपत्र संख्या– 6081 दिनांक 11.12.2013

महोदय/महोदया,

प्रासंगिक परिपत्र संख्या 6081 दिनांक 11.12.2013 द्वारा **SUGAM B** की वैधता निर्गमन की अवधि 3 दिनों तथा वाहन के क्षतिग्रस्त होने या अन्य परिस्थिति में वाहन के बदलने के कारण (**Transhipment**) होने की स्थिति में **SUGAM B** की वैधता पाँच दिनों की गयी थी। विभिन्न व्यवसायिक संघों तथा प्रतिष्ठानों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में **दिनांक 11.03.2014** के प्रभाव से उक्त वैधत्ता अवधि बढ़ाकर 6 दिन (144 घंटे) की जाती है।

वाहन के क्षतिग्रस्त होने या अन्य परिस्थिति में वाहन बदलने (**Transhipment**) की स्थिति में अतिरिक्त **2 दिन** की वैधता होगी। उक्त स्थिति में **SUGAM B** की वैधता कुल **8 दिनों** (6 दिन + 2 दिन) की होगी।

2. **अपवादिक स्थिति** में व्यवसायी द्वारा **SUGAM B** के **"Active Status"** की अवधि में अंचल प्रभारी को संबंधित माल परिवहन की प्रकिया पूरी नही होने के कारण (दस्तावेजी प्रमाण सहित) का उल्लेख करते हुए आवेदन देना होगा। संबंधित अंचल प्रभारी द्वारा उक्त आवेदन तथा उपस्थापित प्रमाणों से संतुष्ट होने के उपरांत ऑनलाईन निर्गत **SUGAM B** के **"Active Status"** का ऑनलाईन अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

विभागीय परिपत्र संख्या 2624 दिनांक 20.05.2013 में वर्णित निर्गमन की प्रकिया पूर्ववत रहेगी।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

12.3.14.

(एम0आर0मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।

/पंकज